UPMB010026162023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, सी०ए०डब्लू०,महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा UP–2700
दाण्डिक अपील संख्या 41 वर्ष 2023

1. प्रमोद उम्र 45 वर्ष पुत्र श्री हरनारायण
2. राजू उम्र 38 वर्ष पुत्र श्री हरनारायण
3. रम्मू उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री हरनारायण
4. विनोद उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री हरनारायण

समस्त निवासीगण ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा उ०प्र०

..... अपीलार्थीगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी

अन्तर्गत धारा 374 दं०प्र०सं०
थाना–महोबा जिला महोबा।

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान दण्डिक अपील अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रमोद, राजू, रम्मू व विनोद द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय, जनपद महोबा के दण्ड वाद संख्या–304/2021 कम्प्यूटर संख्या 600063/2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 31.10.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण में से प्रत्येक को धारा 323 भा०दं०सं०के अन्तर्गत एक वर्ष का साधारण कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दो वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

2. अपीलार्थीगण की ओर से अपील में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध है। वादी मुकदमा द्वारा घटना शाम 6.00 बजे की दर्शायी गयी है और घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी न होने की बजह से उपरोक्त घटना सिर्फ पुरानी रंजिश को लेकर दर्ज करायी गयी है। उक्त प्रकरण में मात्र हितवद्व साक्षी जो घर के है इन्होंने झूठा बयान दिया है जिसका अवलोकन विद्वान विचारण न्यायालय ने सही प्रकार से अवलोकन नही किया है, जबकि मौके पर कई स्वतंत्र साक्षी को वादी ने मौके पर होना दर्शाया गया है। इस पर भी विद्वान विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही किया है और सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। वादी मुकदमा जो कि स्वंय चुटहिल है जिसके द्वारा भी

यह कथन किया गया है कि पत्नी व बच्चे मौके पर मौजूद थे उपरोक्त कथन पूर्णतया असत्य है और घटना का कोई भी समर्थन नही किया गया है और न ही घटना को देखा है। जिस कारण विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा वर्णित अपराध में दण्डित किया जाना न्याय संगत नही है। तथ्य के साक्षीगण पी.डब्लू.–02 श्रीमती मनकुवंर द्वारा कथन किया गया है कि जब मेरे पति शाम को लगभग 6.00 बजे अपने पति के साथ घर पर थी प्रमोद पुत्र हरनारायण अपने अन्य भाईयों के साथ घर में घुस आये जब मेरे पति ने उनसे बाहर निकलने को कहा तो मेरे पति को पहले भीतर मारा फिर बाहर घसीट कर मारा प्रमोद के साथ दूसरे लोग थे मुल्जिमान लोग डण्डा लिये अपने पति को मैने बचाया तथा गांव के लोग मुन्नी लाल तथा लोगों ने बचाया तो जान से मारने की धमकी देकर चले गये। तथा मेरे भी चोटे आयी है। साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया गया कि झगडा गाय को भगाने को लेकर हुआ था और जब मेरे पति ने गाय को भगाया तब मैं घर के अन्दर थी, गाय भगाने के थोडी देर बाद झगडा हुआ था मारपीट का होना खेत पर दर्शाया गया है और पी.डब्लू.–02 ने यह भी कथन किया है कि मेरे साथ कोई मारपीट नही की गयी है। पी.डब्लू.–1 व पी.डब्लू.–02 के बयानों में भारी विरोधाभाष है जिस पर भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है और सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। तथ्य के सभी अभियोजन साक्षीगण ने अपनी सशपथ मौखिक साक्ष्य से स्वेच्छया उपहति कारित करने के संबंध में बढा चढाकर विरोधीभाषी साक्ष्य दी है जिससे अपराध भी साबित नही होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा विवेचक एवं लेखक एन.सी.आर. व कायमी जी.डी. को परीक्षित न कराये जाने से बचाव पक्ष को इनकी प्रति परीक्षा से वंचित कर सही कथानक को न्यायिक समीक्षा से दूर किया गया है। प्रत्येक अभियोजन साक्षी द्वारा घटना से सम्बन्धित एक तथ्य को साबित करने के लिये दो प्रकार की साक्ष्य दी गयी है परन्तु विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के पक्ष वाली साक्ष्य को स्वीकार न करके विधि विरूद्ध तरीके से अभियोजन पक्ष को लाभ दिया है। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा प्रस्तुत अपनी अपनी मौखिक साक्ष्य से घटना के प्रदर्शित हेतुक से सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध जबरन फँसाये जाने की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष द्वारा केवल हितबद्ध एवं साक्षी संख्या–2 जोकि वादी मुकदमा की पत्नी है, को परीक्षित कराकर विसंगत साक्ष्य दी है जिसके आधार पर दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतया गलत है। अभियोजन कथानक की प्रस्तुत साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन नहीं होा

है जबकि उक्त वादी द्वारा गाय को भगाने से चोटों का आना प्रतीत होता है। प्रत्येक अभियोजन साक्षी की सशपथ मौखिक साक्ष्य में मुख्य तथ्यों का विरोधाभाषी होना पाया जाता है। जिस पर विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपना सही विधिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। अन्य आधारों के आधार पर वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने की माँग की गयी है तथा निर्णय दिनांकित 31.10.2023 अपास्त किये जाने की माँग की गयी है।

3. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी द्वारा कथित घटना के समय यह कथन किया गया है कि मुहल्ले के लोग शोर सुनकर बचाने आ गये थे, जबकि यदि शोर सुनकर मुहल्ले के लोगों द्वारा वादी को मारपीट से बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि पुरानी बुराई–भलाई के कारण अपनी पत्नी को गवाह बनाकर झूठे तथ्यों के आधार पर एन०सी०आर० दर्ज करायी गयी है। वादी द्वारा गाय को कुल्हाड़ी से मारा जा रहा था और गाय द्वारा अपने को बचाने में वादी और उसकी पत्नी को मारा गया है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। साक्षियों के बयानों में गम्भीर विरोधाभाष है। विवेचक तथा एन०सी०आर० लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है तथा चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन भी अभियोजन के साक्ष्य से नहीं होता है। उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध किया गया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश अपास्त करते हुये अपील स्वीकार कर उन्हें आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाये।

4. उक्त के विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है। जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। तद्नुसार वर्तमान दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने की माँग की गयी है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं निर्णय दिनांकित 19.07.2023 का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि वादी दी गयी मौखिक सूचना पर दिनांक 07.05.2012 को यह प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी थी कि दिनांक 07.05.2012 को समय 6 बजे वादी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था तब गाय घर के अन्दर घुस आयी जिसको वादी ने भगाया जिस पर बाहर बैठे प्रमोद ने वादी को गाली देते हुये कहा कि साले मेरी गाय को मारकर भगा रहा है

और फोन करके अपने भाईयों को बुला लिया तब मुल्जिमान प्रमोद, राजू, रम्मू, विनोद अपने हाथों में लाठी–डण्डा लिये घर के अन्दर घुस आये और सभी मां बहिन की भद्दी–भद्दी गालियां देने लगे और एकराय होकर वादी को लाठी–डण्डो से मारने–पीटने लगे। वादी की पत्नी तथा बच्चों को गालियां व धमकी देकर भगा दिया। शोरगुल सुनकर मुहल्ले के लोग आ गये। उक्त लोगों ने वादी को बचाया। अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी ने उसी दिन थाने में दर्ज करायी और घटना के सम्बन्ध में वादी की चोटों का मुआयना अस्पताल में हुआ। दर्ज की गयी एन०सी०आर० 105/2012 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० में थी। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.01.2013 को न्यायालय प्रेषित किया गया। चुटहिल साक्षी घसीटा तथा उसकी पत्नी मानकुंवर का बयान न्यायालय में अंकित कराया गया। वादी मुकदमा द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया। साक्षी से की गयी प्रति परीक्षा में साक्षी ने अपने बयान में यह कथन किया कि घटना के समय 7 बजे सूर्यास्त नहीं हुआ था। मेरे मकान से चार–छः घर छोड़कर मुल्जिमान का मकान है। जब मैंने गाय को भगाया था उस समय मौके पर मइयादीन, सूरज व मइयादीन की पत्नी व लड़के थे। गाय हरनारायण की थी और गाय को कुल्हाड़ी नहीं मारी थी, केवल भगाया है। गाय को भगाने के तुरन्त बाद प्रमोद मेरे घर के अन्दर आ गया और गाली–गलौज करने लगा। प्रमोद ने चार–पांच लाठी मारीं, राजू ने दो लाठी मारी और रम्मू ने कितनी लाठी मारी, मुझे याद नहीं है। तीन–चार लाठी विनोद ने गिरने के बाद मारी थीं। घटना के तुरन्त बाद मैं रिपोर्ट करने थाने आया था। मारपीट से आयी चोटों का मेडिकल कराया था। मेरे मारपीट और 302 भा०दं०सं० के मुकदमे चलते हैं। दो मुकदमे 302 और एक मुकदमा 307 तथा एक मुकदमा गैंगेस्टर में चलता है और एक मुकदमा साधारण मारपीट का चलता है। वादी मुकदमा की चोटों के संदर्भ में डाक्टर मनोज निगम द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में कुल 7 चोटें वादी के शरीर पर पायी गयीं। सभी चोटें सख्त कुन्दालय से कारित की गयी थी और साधारण प्रकृति की थीं। चोटों की अवधि ताजा थी। द्वितीय साक्षी पानकुंवर द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये मुल्जिमानों द्वारा डण्डे से अपने पति को मारे जाने का बयान अंकित कराया है। औपचारिक साक्षीगण द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की पुष्टि अपने बयानों से की गयी है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस मत पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि

सम्मत है।

7. अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किये जाने की भी माँग की गयी है। यह कथन भी किया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ न प्रदान किये जाने में विधि एवं तथ्यों की भूल की गयी है।

इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **दलबीर सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा ए०आई०आर० 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज 1677, हंसा बनाम स्टेट आफ पंजाब ए०आई०आर० 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 1991** तथा **ओमप्रकाश बनाम स्टेट आफ मध्य प्रदेश ए०आई०आर० 1982 सप्रीम कोर्ट पेज 783** में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन किया।

परिवीक्षा के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का कथन है कि यह उनका प्रथम अपराध है। अपीलार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे गरीब परिवार से है। किसी भी अपीलार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास होने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट साक्ष्य या कथन अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं किया गया है। वर्तमान घटना वर्ष 2012 की कही जाती है और वर्तमान समय में लगभग 14 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतनी लम्बी अवधि के दौरान अथवा अपील के लम्बित रहने के दौरान भी अभियोजन द्वारा अपीलार्थीगण के आपराधिक इतिहास अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अवर न्यायालय द्वारा भा०दं०सं० की धारा– 323 एवं 506 के अधीन कारावास की सजा का दण्ड अपास्त करते हुये उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिये जाने योग्य है तथा जुर्माने का दण्ड बरकरार रखे जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण प्रमोद, राजू, रम्मू एवं विनोद को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 506 के अधीन पारित कारावास का दण्डादेश अपास्त करते हुये उन्हें उक्त अपराध हेतु एक वर्ष की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है। इस अवधि में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण परिशान्ति कायम रखेंगे और सदाचारी रहेंगे। सदाचार बनाये रखने हेतु अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र

एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे। यदि इस अवधि में अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा परिशान्ति नहीं रखी जाती है, तब ऐसी स्थिति में वर्तमान दाण्डिक अपील में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किये जाने का आदेश स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा और अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण पर अवर न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश प्रभावी होगा।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध से वादी मुकदमा को हुयी क्षति के सम्बन्ध में छै–छै हजार रूपये का अतिरिक्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है। पूर्व में जमा की गयी तीन–तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड की धनराशि समायोजित की जायेगी। जमा किये गये अर्थदण्ड में से पचास प्रतिशत धनराशि प्रतिकर के रूप में वादी मुकदमा को विधि अनुसार एक माह के अन्दर प्रदान की जाये।

आदेश की एक प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित की जाये। वादी मुकदमा केा सूचित किया जाये।

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उसके जमानतनामे निरस्त कर प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये।

दिनांकः 04.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०,महोबा।

आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 04.07.2026

(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०,महोबा।

टाइपकर्ता
उमेश चन्द्र गुप्ता
कार्यकारी सहायक

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.07.06 10:21:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court